सामान्य शर्तें General Conditions

सामान्य शर्तें **General Conditions**

a. अभ्यर्थी केवल विहित प्रपत्र में अपना आवेदन विधिवत भर कर प्रस्तुत करेंगे |
Candidates should submit duly filled application in the prescribed format only.

b. वह अभ्यर्थी जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत किसी सरकारी अथवा सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी औद्योगिक संगठन में वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं ,आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं |
Candidates who have already undergone or are currently undergoing Apprenticeship under Apprenticeship Act 1961 in any Government or PSU or Private Industrial Organisation are not eligible to apply.

c. निर्धारित ट्रेड में शिक्षु प्रशिक्षण ले रहा प्रत्येक व्यक्ति शिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षु नियम, 1992 के अनुसार एनपीसीआईएल के साथ शिक्षु संविदा करेगा। वह शिक्षु संविदा शिक्षु प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर समाप्त होगी। शिक्षु संविदा की कोई भी समय-पूर्व समाप्ति अथवा समय विस्तार उक्त अधिनियम, 1961 और उसके साथ पढ़े जाने वाले शिक्षु नियम, 1992 और समय समय पर होन वाले संशोधनों के अनुसार किए जाएंगे।
Any person engaged to undergo apprentice training in a designated trade shall enter in to contract of apprenticeship with NPCIL as per the Apprentices Act, 1961 and Apprenticeship Rules, 1992. The contract of apprenticeship shall terminate on the expiry of the period of apprenticeship training. Any premature termination or extension of contract of apprentice shall be dealt as per the provisions of Act, 1961 read with Apprentices Rules, 1992 and amendments from time to time.

अनुपस्थित होने वाले व्यक्ति उनके प्रशिक्षण पर हुए पूरे व्यय और वृत्तिका के रूप में प्राप्त किए गए धन को लौटाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसका निर्धारण केंद्रीय शिक्षु सलाहकार करेंगे।
Those who absent themselves are liable to refund whole cost of their training as well as the amount received as stipend as determined by Central Apprenticeship Advisor.

d. अप्रेंटिस लिया जाना एवं प्रशिक्षण देना पूरी तरह से अप्रेंटिस अधिनियम ,1961 के प्रावधानों के अनुपालन में है ,एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अप्रेंटिस को रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं है |
The engagement and training are strictly in compliance with the provision of the Apprentices Act 1961, and there is no obligation for employment of the Apprentices on Completion of their training.

e. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अप्रेंटिस को एनपीसीआईएल में रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा |
The apprentice after completion of the training shall have no right to claim any employment in NPCIL.

f. पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र : नरौरा परमाणु विद्युत केंद्रसंयंत्र स्थल, नरौरा,अत्यंत संरक्षित क्षेत्र होने के कारण अप्रेंटिस को केवल जिला पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करने के पश्चात ही लिया जाएगा |इसके अतिरिक्त अप्रेंटिस को संबंधित संस्थान द्वारा जारी चरित्र/आचरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा |
Police verification certificate: NPCIL, NAPS being highly protected area, apprentices will be engaged only after submission of Police Verification issued by District Police Authorities. In addition, the apprentice needs to submit **Character/Conduct Certificate** from the concerned institution.

g. अर्हता, आवेदनों की स्वीकार्यता अथवा आपत्ति, चयन का ढंग, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया का निरस्तीकरण, इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस विषय में किसी पत्रव्-यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। सीटों का भरा जाना अभ्यर्थी की उपयोगिता के आधार पर पूरी तरह प्रबंधन के विवेक पर होगा और अनुपयोगितामें से कुछ सीटें नहीं भरी जाती हैं तो रखे जाने के विषय में कोई दावा के कारण यदि इन संख्यार्थियों की अपर्याप्तअभ्य / पैदा नहीं होगा।
The decision of Management will be final and binding on all candidates on all the matters relating to eligibility, acceptance or objection of the applications, mode of selection, cancellation of the selection process either in part or full etc. No correspondence will be entertained in this regard. Filling up of the seats is solely at the discretion of the management based on suitability of candidate and no claim will

arise for engagement, if some of these seats are not filled due to unsuitability/insufficient number of candidates.

h. चयनित अभ्यर्थियों को कोई हॉस्टेलपरिवहन सुविधा शिक्षुता के लिए प्रदान नहीं / की जाएगी।
No hostel/ transport facility shall be provided to the selected candidates for apprenticeship.

i. रोजगार की बाध्यताशिक्षु को रखा जाना शिक्षु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है और इसलिए एनपीसीआईएल : के लिए यह बाध्यकारी नहीं होगा कि वे किसी भी उस शिक्षु को, जिसने अपनी शिक्षुता अवधि को पूरा कर लिया है, रोजगार का प्रस्ताव दें और न ही यह शिक्षुओं के लिए बाध्यकारी होगा कि वे एनपीसीआईएल के अधीन रोजगार स्वीकार करें।
Obligation for employment: The engagement of apprentice is as per the provisions of Apprentices Act and therefore it shall not be obligatory on the part of NPCIL to offer any employment to any apprentice who has completed the period of his apprenticeship training nor shall it be obligatory on the part of apprentices to accept an employment under NPCIL.

j. प्रबंधन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे सीटों की संख्या अथवा शिक्षु रखे जाने की पूरी प्रक्रिया को ही बिना कोई कारण निर्धारित किए परिवर्तित कर सकें।
Management reserves the right to alter the no. of seats of particular trade or even the entire process of engagement of apprentice without assigning any reasons whatsoever.

k. आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य की निर्धारित तिथि ऑन-लाइन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 07/07/2021 होगी|
The cut-off date for reckoning age limit, qualification etc. would be closing date prescribed for submitting online application i.e 07/07/2021.